

इसे वेबसाईट www.govtressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 जनवरी 2021—माघ 1, शक 1942

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2021

क्र. 90-1783-2020-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960) की धारा 43 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, अधिसूचित करती है कि पीथमपुर, जिला धार के स्थानीय क्षेत्र के लिए सुलहकर्ता को संदर्भित अध्यक्ष/महासचिव, सिनकॉम फार्मस्युटिकल मजदूर कर्मचारी यूनियन, पीथमपुर, जिला धार एवं कारखाना प्रबंधक, सिनकॉम फार्मुलेशन (ईंडिया) लिमिटेड, पीथमपुर, जिला धार के मध्य औद्योगिक विवाद क्रमांक 3/एम.पी.आई.आर./2020 में उसमें सम्मिलित और नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक मामलों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका था।

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 3/एम.पी.आई.आर./2020.

S. No. 90-1783-2020-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (27 of 1960), the State Government, hereby, notifies that no settlement was arrived at in the Industrial Dispute No. 3-MPIR-2020 between Adhyaksha/Mahasachiv, Syncrom Pharmaceutical Majdoor Karmchari Union, Pithampur, District Dhar and Factory Manager, Syncrom Formulation (India) Limited, Pithampur, District Dhar in regard to the Industrial matter included therein and specified in the Schedule below referred to the Concileator for the local area of Pithampur, District Dhar.

SCHEDULE

Industrial Dispute No. 3-MPIR-2020.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छोटे सिंह, उपसचिव,